15 भीम

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :– प.5(297) निपेवि/नियम/2014/पार्ट –1/1762–1806 – H दिनांक :– 20-05-22

समस्त अतिरिक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान
समस्त कोषाधिकारी,

विषय:– राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 एवं अन्य प्रभावी प्रासंगिक नियमों के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्

प्रसंग:– निदेशालय का पूर्व पत्रांक– 220 – H दिनांक 11.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, कोषालयों द्वारा मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्रेषित करते समय संदर्भित पत्र के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रकरण प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन प्रायः देखा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, कोषालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर मार्गदर्शन हेतु पत्र प्राप्त हो रहे है लेकिन प्रकरण के साथ निर्धारित प्रारूप संलग्न नहीं किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में मार्गदर्शन हेतु प्रकरण संलग्न प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा ऐसे पत्रों को अनावश्यक पत्राचार मानकार पत्रावलीबद्ध कर दिया जाएगा, इस कारण यदि कोई प्रकरण लम्बित रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/कोषालय की होगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(signature)
निदेशक

C:\Users\nan\Desktop\RULES\Letters\letter

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740638, 2741637
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

निदेशालय से मार्गदर्शन चाहने हेतु विवरण प्रारूप

क्र. स.	नियम	विशेष विवरण
1	उन नियमों का विवरण जिन पर मार्गदर्शन अपेक्षित है।	
2	क्रम संख्या 1 पर अंकित नियमों में अस्पष्टता का उल्लेख करें।	
3	क्र. सं. 2 पर अंकित नियम का किन नियम/. नियमों/ परिपत्रों/नियमावली से विरोधाभास है। उसका उल्लेख करते हुए स्वपूरित टिप्पणी संलग्न करें।	
4	उक्त नियम/नियमों/परिपत्रों/नियमावली पर आपकी टिप्पणी/राय/सुझाव संलग्न करें।	
5	यदि उक्त नियम पर निदेशालय पेंशन के नियम अनुभाग से निर्वचन/व्याख्या/मार्गदर्शन अपेक्षित है तो पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन (आवश्यक संलग्नकों सहित) संलग्न करें।	
6	यदि उक्त नियम पर वित्त विभाग से निर्वचन/व्याख्या/ मार्गदर्शन अपेक्षित है तो पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन अपनी स्पष्ट अभिशंषा/राय के साथ आवश्यक संलग्नकों सहित प्रेषित करावें।	

C:\Users\nan\Desktop\RULES\Letters\letter